Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- जयपुर में प्रताप नगर थाने का कानि. 5,000/– रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, 19 मार्च बुधवार। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर–प्रथम जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करतें हुए आरोपी श्री कन्हैया लाल मीणा, कानि. पुलिस थाना प्रताप नगर (पूर्व) आयुक्तालय जयपुर को 5,000/– **रूपये** रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर–प्रथम जयपुर को एक शिकायत इस आशय की मिली की श्री कन्हैयालाल पुलिस थाना प्रताप नगर जयपुर द्वारा परिवादी को वरूण से खरीदे गये कैमरे के संबंध में थाना प्रताप नगर पर दर्ज रिपोर्ट में मामला निपटाने तथा कानूनी अड़चन में नहीं फंसाने की एवज में रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस–द्वितीय श्री राहुल कोटोकी** के सुपरविजन में ए.सी.बी. चौकी जयपुर नगर–प्रथम जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री भूपेन्द्र** के नेतृत्व में आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री नीरज गुरनानी** मय टीम के ट्रैप कार्यवाही करते हुए आरोपी श्री कन्हैया लाल मीणा पुत्र श्री रणजीत मीणा, उम्र 34 वर्ष, जाति मीणा निवासी ग्राम डांगरवाड़ा तहसील आंधी, जयपुर हाल मकान न:65 जेपी नगर लुणियावास जयपुर हाल कानि. 3594 पुलिस थाना प्रताप नगर (पूर्व) आयुक्तालय जयपुर को परिवादी से 5,000/– **रूपये** रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमति स्मिता श्रीवास्तव** के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।